न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010037402025

Sessions Case/1812/2025
State of U.P. Vs. Bablu

सरकार बनाम बबलू

मु0अ0सं0 114/2025

अ0 धारा 64(2)एम, 65(1), 351(3), बी०एन०एस० ,
3/4(2), 5 j(ii)/6 पोक्सो एक्ट
थाना– हापुड नगर, जिला हापुड़।

30.09.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त बबलू जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त बबलू के विरूद्ध धारा 64(2)एम, 65(1),351(3), बी०एन०एस०, 3/4(2), 5 j(ii)/6 पोक्सो एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 16.10.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 30.09.2025

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.09.30 15:46:33 IST
Reason: charge
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010037402025

Sessions Case/1812/2025
State of U.P. Vs. Bablu

सरकार बनाम बबलू

मु0अ0सं0 114/2025

अ0 धारा 64(2)एम,65(1), 351(3), बी०एन०एस० ,
3/4(2), 5 j(ii)/6 पोक्सो एक्ट
थाना– बहादुरगढ , जिला हापुड़।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त बबलू पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि तहरीर दिनाकित 10.05.2025 के अनुसार करीब 2 वर्ष पूर्व से विभिन्न दिनांक व समय पर प्रेमचन्द का खेत स्थित ग्राम बहादुरगढ बहद थाना– बहादुरगढ , जिला हापुड़ में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''एच''/ पीडिता उम्र करीब 15 वर्ष (16 वर्ष से कम) से बलात्संग कर ऐसा कार्य कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''एच''/ पीडिता उम्र करीब 15 वर्ष (16 वर्ष से कम) से कई बार बलात्संग कर ऐसा कार्य कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)एम के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''एच''/ पीडिता उम्र करीब 15 वर्ष (16 वर्ष से कम) को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''एच''/ पीडिता उम्र करीब 15 वर्ष (16 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''एच''/ पीडिता उम्र करीब 15 वर्ष (16 वर्ष से कम) पर कई बार प्रवेशन लैंगिक हमला किया , जिसके परिणामस्वरूप पीडिता गर्भवती हो गयी । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5 j(ii)/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 30.09.2025

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 30.09.2025